Laundary

सं0-यू0आ0-665-अ/26-स0यू0/2004-4(20)/2004

प्रेषक,

अनिल सन्त,
सचिव,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग, लखनऊ: दिनाँक: 20 अक्टूबर, 2004
समाज कल्याण,बजट,पु0को0, उ0 प्र0 लखनऊ ।

विषय: धोबी समाज के लोगों के आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा धोबी समाज के लोगों को ड्राई क्लीनिंग एवं लाण्ड्री खोलने हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-यू0आ0-665/26-स0यू0/2004 दिनाँक-20 अक्टूबर,2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष-2004-05 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप धोबी समाज के 200 व्यक्तियों को ड्राईक्लीनिंग एवं लाण्ड्री खोलने हेतु रु0 20,00,000/-(रुपये बीस लाख मात्र) की अनुदान की धनराशि की स्वीकृति प्रथम अनुपूरक माँग के माध्यम से श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं ।

2- उक्त धनराशि आप द्वारा प्रति हस्ताक्षरित बीजक के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा आहरित कर निर्धारित लक्ष्या-नुसार तत्काल जनपदों को उपलब्ध कराया जायेगा ।

3- प्रश्नगत धनराशि किसी भी दशा में बैंकों अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं में सावधि जमा के रूप में नहीं रखी जायेगी । प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम जनपदों को आवंटित कर समस्त धनराशि की सूचना शासन को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

4- उपर्युक्त धनराशि शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निर्धारित नियमों के अनुसार व्यय की जायेगी और व्यय की गयी धनराशि तथा लाभार्थियों की सूची आदि के संबंध में अन्य विवरण निर्धारित रूप पत्रों पर अपर जिला विकास अधिकारी (स0क0)/सहा0 जिला प्रबन्धक,उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को उपलब्ध करायेंगे तथा प्रबन्ध निदेशक,अनुगम द्वारा लाभार्थी की सूची शासन को भी उपलब्ध करायी जायेगी । स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा और किसी भी अन्य मद में धनराशि का उपयोग शासन की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा । इसके लिए सम्बन्धित जनपदों के जिला प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।

--2--

GM(IT)

21-10-04
MD

जी0 एम0 (प्रशासन)
पा0 के0 सिंह
1/11/04
GM(CP)

उपरोक्त धनराशि के उपयोग प्रमाण-पत्र नियमानुसार शासन तथा महालेख, उ0 प्र0 इलाहाबाद को यथा समय उपलब्ध कराये जायेंगे ।

5- इस अनुदान के उपयोग पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16 "ए" के नियम लागू होंगे ।

6- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2004-05 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83, (समाज कल्याण विभाग) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-आयोजनागत-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-800-अन्य व्यय-05-धोबी समाज के व्यक्तियों को ड्राई क्लीनिंग एवं लाण्ड्री खोलने के हेतु अनुदान-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा ।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1392(1)/दस-2004 दिनांक-19 अक्टूबर,2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

संलग्नक-यथोक्त ।

भवदीय,

(अनिल सन्त)
सचिव ।

सं0-यू0ओ0-665-(1)/26-स0प्र0/2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0 प्र0 इलाहाबाद ।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, कैसर बाग, लखनऊ ।
(3) विशेष सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय को उनके पत्र सं0-1609/वि0स0मु0मं0/2004 दिनांक-24.02.2004 के संदर्भ में ।
(4) संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भा0स0नई दिल्ली
(5) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर, लखनऊ ।
(6) वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3
(7) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(ओमप्रकाश वर्मा)
अनु सचिव ।

शासनादेश सं0-अ0जा0-665/26-1010-2004-41201/2004

दिनांक 20 अक्टूबर, 2004 का-संलग्नक

ड्राई क्लीनिंग तथा लाण्ड्री योजना

प्रस्तावना- समाज में प्रत्येक व्यक्ति तन ढकने के लिये वस्त्रों का इस्तेमाल करता है। जहाँ वस्त्र मनुष्य के पहनने के लिये एक आवश्यक आवश्यकता है, वहीं वस्त्रों की धुलाई भी वस्त्रों से जुडी हुई है। समाज के मध्यम तथा उच्च वर्ग के लोग वस्त्रों की धुलाई लाण्ड्री तथा ड्राई क्लीनिंग से कराते हैं। इस प्रकार महानगरों, छोटे शहरों तथा टाउन एरिया में लाण्ड्री तथा ड्राई क्लीनिंग की दुकानें प्रत्येक जगह उपलब्ध हैं। यह कार्य अधिकांशतः धोबी समाज के लोग ही करते हैं। यह जाति अनुसूचित जाति से सम्बन्धित है। धोबी समाज के आर्थिक विकास के लिये उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा एक योजना तैयार की गयी है, जिससे धोबी समाज के लोगों को लाण्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग हेतु वित्त पोषण कराया जायेगा। इससे एक ओर तो धोबी समाज को उचित रोजगार के अवसर प्रदान होंगे, दूसरी ओर समाज में रहने वाले व्यक्तियों को वस्त्रों की धुलाई में सुविधा प्राप्त होगी। योजना का स्वरूप निम्न प्रकार है :-

तकनीकी विवरण- ऊनी, सूती, सिल्क तथा सिन्थेटिक कपडों की धुलाई भिन्न-भिन्न प्रकार से होती है। ऊनी तथा सिल्क कपडे रसायन में धोये जाते हैं तथा सिन्थेटिक एवं सूती वस्त्र पानी से धोये जाते हैं।

उत्पादन क्षमता - क्षमता- 2500 वस्त्र अनुमानित

आवश्यकता :-

विद्युत शक्ति 400 यूनिट (दर) 4/- प्रति	1600.00
ईंधन (लकडी, लकडी का कोयला)	1000.00
पानी	4000.00
	7200.00

प्लान्ट एवं मशीनरी-

क्र0सं0	मद	मात्रा	दर	लागत
1.	वाशिंग मशीन (हैवी ड्यूटी)	2	20,000.00	40,000.00
2	स्टीम प्रेस	1	20,000.00	20,000.00
3.	इलेक्ट्रिक प्रेस (1500 वाट)	2	1,000.00	2,000.00
4	ड्रायर	1	1,500.00	1,500.00
5	शो केश	—	—	00,000.00
6	विद्युतीकरण	—	—	10,000.00
7	निटिंग मशीन	—	—	3,000.00
	योग			1,30,500.00

योजना लागत –

क्र०	विवरण	किराये पर
1	भूमि व भवन 40 वर्गमीटर	1,36,500.00
2.	प्लांट एवं मशीनरी	13,000.00
3	फर्नीचर एवं फिक्चर्स	2,000.00
4	प्रारंभिक व्यय	15,000.00
5.	आकस्मिक व्यय	49,500.00
6	कार्यशील पूंजी	
	योग	2,16,000.00

वित्तीय स्रोत –

अनुदान	रू0 10,000.00	विशेष केन्द्रीय सहायता से
ब्याज मुक्त ऋण (आवासीय कालोनी)	रू0 2,00,000.00	
	रू0 2,10,000.00	

आवश्यकता (प्रतिमाह) –

विद्युत 400 यूनिट दर 4/– प्रति यूनिट	1600.00
ईंधन	1600.00
पानी	4000.00
	7200.00

श्रमशक्ति (प्रतिमाह) –

क्र०सं०	विवरण	पद	वेतन स्वयं से	धनराशि
1.	मैनेजर	1	5000.00	5000.00
2.	सुपरवाइजर	1	2500.00	5000.00
3.	प्रेस मैन कुशल	2	2000.00	2000.00
4.	अकुशल श्रमिक	1	2500.00	2500.00
5	धुलाई	1		2175.00
6.	अन्य सुविधा	दर 15 प्रतिशत		
	योग			16,675.00

कच्चा माल (प्रतिमाह)

क्र०सं०	मद	मात्रा	दर	धनराशि
1.	साबुन, डिटर्जेंट	30 कि०ग्रा०	25/–	750.00
2.	रसायन	50 कि०ग्रा०	25/–	1250.00
3.	स्टार्च	02 कि०ग्रा०	250/–	500.00
4.	ब्राइटनर	–	–	400.00
5.	इन्डिगो	–	–	200.00
6.	एप्राइट	–	–	300.00
7.	विविध रसायन	–	–	000.00
8	पैकिंग मैटेरियल	–	–	2000.00
	योग			6000.00

[illegible] पूंजी	[illegible]	[illegible]	6000.00
1	[illegible]	[illegible]	2000.00
2	[illegible]	15 दिन	37500.00
3	[illegible]	20 दिन	4000.00
4	[illegible]	—	49500.00
	योग		

7,20,000.00

[illegible] (वार्षिक) [illegible] की घुलाई
[illegible] 2000 [illegible] 12 माह में
[illegible] 30/- [illegible]

[illegible]	72000.00
[illegible]	86400.00
[illegible]	200100.00
[illegible]	36000.00
किराया	12000.00
[illegible]	12000.00
[illegible]	10000.00
[illegible] (टेलीफोन, पोस्टेज, स्टेशनरी)	12000.00
विज्ञापन, प्रचार–प्रसार	5000.00
[illegible] / रख–रखाव	6000.00
बीमा	12000.00
[illegible] योग	4,71,500.00

4,71,500.00

कुल वार्षिक [illegible]–

720000 – 471500 = 2,48,500.00

[illegible] 26,000.00

I. [illegible] 248500 – 26000 2,23,500.00
II. [illegible] 12,000.00
III. [illegible] (वार्षिक) [illegible] 1,70,300.00
IV. [illegible] वार्षिक 14200.00

[illegible] वार्षिक [illegible]

[illegible]
अनु सचिव

[illegible] 10-04